उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 15.06.16 का कार्यवृत्त

दिनांक 15.06.16 को अपरान्ह 3:30 बजे प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1– श्री ए0के0 गुप्ता, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
2– श्री सलेक चन्द्र, प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) एवं प्रमुख अभियन्ता (परि0 / नियो0)
3– श्री ए0के0 सिंह, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय–1)
4– श्री पंकज बकाया, मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र)
5– श्री वी0 के0 सिंह, मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र)
6– श्री ए0के0 मिश्रा, मुख्य अभियन्ता (वाह्य सहायतित परियोजना)
7– श्री मसर्रत नूर खान, मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र)
8– श्री राजपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय–2)
9– श्री सुरेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियन्ता (परियोजना)

1– समिति के समक्ष मुख्य अभियन्ता, (आगरा क्षेत्र) द्वारा जनपद आगरा एवं इटावा में आगरा से लायन सफारी इटावा तक स्वीकृत बाईसकिल हाइवे के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि स्वीकृत आगणन में बाईसकिल हाइवे की चौड़ाई औसतन 2.00 मी0 तथा *जी0एस0बी0* 100 एम0एम0 तथा *सी0सी0* 160 एम0एम का प्राविधान किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त विषयक कार्य में बाईसकिल हाइवे की चौड़ाई यथा संभव 3.00 मी0 किये जाने का मत स्थिर किया गया है।

मुख्य अभियन्ता, आगरा एवं कानपुर क्षेत्र द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त बाईसकिल हाइवे का निर्माण वर्तमान स्थित चक रोड, नहर की पटरी पर एवं वर्तमान ग्रामीण मार्गों पर किया जा रहा है जहॉ पर साईकिल के अतिरिक्त अन्य भारी वाहन, ट्रेक्टर ट्राली आदि का आवागमन रहेगा। वर्तमान में उपरोक्त कार्य में 100 एम0एम0, *जी0एस0बी0* एवं 160 एम0एम0 *सी0सी0* का प्राविधान है तथा ग्रामीण मार्गों की डिजाइन हेतु आई0आर0सी0 एस0पी0–62 के अनुसार 0 से 5 सी0वी0पी0डी यातायात हेतु *जी0एस0बी0* 100 एम0एम0, *डब्लू0 बी0एम0 / डब्लू0एम0एम0*–75 एम0एम0, *सीमेन्ट कंक्रीट पेवमेन्ट*–160 एम0एम0 अर्थात कुल 335 एम0एम0 का प्राविधान है। मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र एवं मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र द्वारा उपरोक्त वर्णित ट्रैफिक के दृष्टिगत एस0पी0–62, 2014 में प्राविधानित *डब्लू0बी0एम0 / डब्लू0एम0एम0*–75 एम0एम0 के स्थान पर 100 एम0एम0 *डी0एल0सी0* अर्थात कुल 360 एम0एम0 का प्राविधान किये जाने हेतु विभागीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु निवेदित किया है।

समिति में विचारोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त प्रस्ताव विभागीय उच्च स्तरीय समिति से सम्बन्धित नहीं है। फिर भी प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों द्वारा दिये गये तथ्यों के दृष्टिगत यह निर्देशित किया जाता है कि बाईसकिल हाइवे के निर्माण में यातायात के अनुसार उपयुक्त आई0आर0सी0 कोड के प्राविधानानुसार कार्यवाही करते हुए क्रस्ट का निर्धारण किया जाये।

2– <u>साईकिल ट्रैक के निर्माण हेतु सी0सी0 पेवमेण्ट की विशिष्टिया।</u>

साईकिल ट्रैक के निर्माण हेतु आई0आर0सी0 के कोड में सी0सी0 ट्रैक निर्माण की विशिष्टियां/प्राविधान उपलब्ध नहीं है। अतः समिति के द्वारा सम्यक–विचारोपरांत सी0सी0 साईकिल ट्रेक निर्माण हेतु नियमानुसार प्राविधान किए जाने पर सहमति व्यक्ति की गई है:–

जी0एस0बी0	100 एम0एम0
सी0सी0	100 एम0एम0
माइक्रो सरफेसिंग	06 एम0एम0 (आवश्यकतानुसार)

3– <u>एस0डी0बी0सी0 हेतु आ0आर0सी0 37: 2012 के अनुपालन हेतु मोर्थ द्वारा 2001 में जारी एस.डी.बी.सी. हेतु निर्गत विशिष्टियों का प्रयोग किया जाना।</u>

आई0आर0सी0–37: 2012 के अनुसार 5–एम0एस0ए0 से कम यातायात घनत्व के लिए मार्ग की टॉप लेयर में एस0डी0बी0 सी0 का प्राविधान दिया गया है, परन्तु मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एण्ड एन0–हाईवेज द्वारा वर्ष 2013 में निर्गत विशिष्टियों में एस0डी0 बी0सी0 की विशिष्टियॉ उल्लिखित नहीं है।

अतः समिति के द्वारा आई0आर0सी0–37: 2012 के अनुपालन हेतु कार्यहित में यह निर्णय लिया गया कि एस0डी0बी0सी0 हेतु मोर्थ द्वारा वर्ष 2001 में निर्गत विशिष्टियों का अनुसरण किया जाये।

15/6/16
(राजपाल सिंह)
मुख्य अभियन्ता
(मुख्यालय–2)

15/6/16
(मसर्रत नूर खान)
मुख्य अभियन्ता,
आगरा क्षेत्र

15/6/16
(ए0के0 मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता,
(वा0सहा0परि0)

15/6/16
(वी0के0सिंह)
मुख्य अभियन्ता
(मध्य क्षेत्र)

15.6.16
(पंकज बकोया)
मुख्य अभियन्ता
(कानपुर क्षेत्र)

15/6/16
(ए0के0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता
(मु0–1)

15/6/16
(सलेक चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता,
(ग्रामीण सड़क) एवं
(परि0/नियो0)

15/6/16
(ए0के0 गुप्ता)
प्रमुख अभियन्ता
(विकास) एवं विभागाध्यक्ष

पत्रांक- 340 /बी0डी0डी0-1(एनएच)/40एम0टी0-11/2016 दिनांक-23.06.2016

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को दिनांक-15.06.2015 को हुई उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ ।
2. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/(परि0 एवं नियो0), लो0नि0वि0, लखनऊ को को सूचनार्थ ।
3. मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ, मु0 अ0 (भवन)
4. मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ ।
5. मुख्य अभियन्ता (मु0-2), लो0नि0वि0, लखनऊ ।
6. मुख्य अभियन्ता, वाहूय सहायतित परियोजना लो0नि0वि0, लखनऊ ।
7. मुख्य अभियन्ता, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, इलाहाबाद, झाँसी, कानपुर,आगरा, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, लो0नि0वि0, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़,फैजाबाद, इलाहाबाद, झाँसी, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ ।

23/6/16

मुख्य अभियन्ता (मु0-2)
लो0नि0वि0,लखनऊ ।